तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-7-25	**एकलपीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री सुनील पारीक, उप राजकीय अभिभाषक। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित — **आदेश** 1. यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत जिला कलेक्टर डूंगरपुर ने अपने आदेश एवं अभिशंषा दिनांक 22–3–06 द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया गया है। 2. रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार डूंगरपुर ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय जिला कलेक्टर डूंगरपुर के यहां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम चुण्डावाडा में भू प्रबंध में आराजी नंबर 3428 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि किस्म नाली दर्ज थी। उक्त भूमि में से 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि का विधि विरूद्ध आवंटन अप्रार्थी के हक में आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 26–4–78 को किया गया। आवंटन की पालना में नामांतकरण संख्या 1022 स्वीकृत हुआ। उक्त विवादित आराजी को निरस्त कर पुनः नाली दर्ज करने हेतु रेफरेंस मंडल को भेजा जावे। तहसीलदार की रिपोर्ट व राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर जिला कलेक्टर डूंगरपुर द्वारा रेफेरेंस प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुये अपने निर्णय दिनांक 22–3–06 से अभिशंषा करते हुये अप्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी इंद्राज को निरस्त करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मंडल में प्रेषित किया गया है। 3. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजी पूर्व राजस्व रिकोर्ड अनुसार गैर मुमकिन नाली है। जिसे नियम विरूद्ध अप्रार्थी को आवंटन कर दिया। गैर मुमकिन नाली की भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। उक्त प्रकार की भूमि में किया गया आवंटन/नियमन प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य होने से निरस्तनीय है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी पुनः राजस्व रिकोर्ड में गैर मुमकिन नाली दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

4. उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया और पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया।

5. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय जिला कलेक्टर डूंगरपुर ने निर्णय दिनांक 22–3–06 से स्वीकार करते हुये अप्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी इंद्राज को निरस्त कर विवादित आराजी पुनः गैर मुमकिन नाली राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मंडल में प्रेषित किया गया है। प्रस्तुत राजस्व रिकोर्ड के अनुसार मौजा ग्राम चुण्डावाडा में वर्तमान भू प्रबंध में आराजी नंबर 3428 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि किस्म नाली दर्ज थी। उक्त भूमि में से 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि का विधि विरूद्ध आवंटन अप्रार्थी के हक में आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 26–4–78 को किया गया। आवंटन की पालना में नामांतकरण संख्या 1022 स्वीकृत हुआ, जिसके नवीन बटा नंबर खसरा नंबर 5876/3428 कायम हुये। प्रथम दृष्ट्या साबित है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी के खाते में दर्ज होने से पहले राजस्व रिकोर्ड में गैर मुमकिन नाली अंकित थीं। राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार ''गैर मुमकिन नाली'' किस्म की भूमि ना तो आवंटन या नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (i) निम्न प्रकार हैः–

"4. Land not available for allotment under these rules.- The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-

(ii) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955;"

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 की उपधारा (ii) निम्न प्रकार हैः–

16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.- Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-

(i) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6. उपरोक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि नदी/नाला/नाली/तालाब (river) की भूमि अथवा नदी पेटा की भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है। 1970 के उक्त नियमों के नियम 20 द्वारा नियम 4 में शामिल भूमियों को नियमन योग्य नहीं माना है। इस प्रकार गैर मुमकिन श्रेणी नाला–नाली, नदी, नाड़ी, तालाब आदि की भूमि ना तो आवंटन योग्य है और ना ही उसका किसी के नाम नियमन हो सकता है। अतः अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज विवादित आराजी विधि विरुद्ध है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड़ के अनुसार विवादित आराजी वर्तमान अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। पूर्व राजस्व रिकोर्ड अनुसार विवादित भूमि की किस्म भूमि गैर मुमकिन नाली दर्ज है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के खाते में आवंटन के आधार पर विवादित भूमि का किया गया इंद्राज प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य एवं निरस्तनीय है। 7. परिणामतः हस्तगत रेफेरेंस स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी के पक्ष में किये गये विवादित आराजी के खातेदारी/नामांतरकरण इंद्राज निरस्त किये जाकर वादग्रस्त भूमि पूर्वानुसार राजकीय भूमि किस्म ''गैर मुमकिन नाली'' दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं और संबधित राजस्व रिकोर्ड से अप्रार्थी के पक्ष में किये गये समस्त इंद्राजात विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थी का विवादित आराजी पर लम्बे समय से कब्जाकाश्त है तथा जिला कलेक्टर डूंगरपुर ने अपने निर्णय के अंतिम पैरा में अप्रार्थी को उक्त भूमि की क्षतिपूर्ति के लिये उसके बदले में अन्य कोई आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि का आवंटन हेतु अभियान के दौरान अप्रार्थी की ओर से आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने की स्थिति में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उस पर विचार कर यदि अप्रार्थी आवंटन की नियमानुसार पात्रता रखता हो तो नियमानुसार आवंटन करने के आदेश भी दिये गये है। अतः जिला कलेक्टर डूंगरपुर के निर्णय का अंतिम पैरा यथावत रखा जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	